

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेषक,

उमेश प्रसाद रजक,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-31/5/2019

माननीय न्यायाधीशगण/महानुभावों/वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ अगंरक्षकों के रूप में हवलदार एवं सिपाहियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में।

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-778 दिनांक-11.01.2019 के प्रसंग कहना है कि गृह विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0-2/जी0 1-101/2011 गृ0आ0-562 दिनांक-28.11.2011 की कंडिका-4 में उल्लेख है कि "माननीय मंत्रीगण के सुरक्षा में विशेष शाखा की ओर से एक पुलिस अवर निरीक्षक/सहायक अवर निरीक्षक माननीय मंत्री की सुरक्षा के प्रभारी रहेंगे।" गृह विभाग, विशेष शाखा, बिहार, पटना के संकल्प सं0-3663 दिनांक-02.05.2017 में बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण के सुरक्षा के सन्दर्भ में संकल्प सं0-562 दिनांक-28.01.2011 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के आलोक में की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखा गया है। विदित हो कि पुलिस अवर निरीक्षक/सहायक अवर निरीक्षक पंक्ति के पदाधिकारियों द्वारा अनुसंधान एवं विधि-व्यवस्था के कार्य किये जाते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निर्णय लिया गया कि सशस्त्र अगंरक्षकों के रूप में हवलदार एवं सिपाहियों को ही माननीय न्यायाधीशगण/महानुभावों/वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्रतिनियुक्त किया जाय। इस आशय की सूचना सभी संबंधितों को दी जा सकती है।

विश्वासभाजन

31/5/2019
सरकार के अवर सचिव
31-5-19

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।
ज्ञापांक 309/427423 /एल-2,
52-14-02-2014

पटना, दिनांक..... 06.06.2019

प्रतिलिपि:-

1. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक (जिला एवं रेल सहित)/विशेष शाखा, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. आई0टी0 प्रबंधक, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/6/19
पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू0)
बिहार, पटना।

16, Security
Atel(S)
विषय:-
महानुभावों के सुरक्षा के संबंध में
महाशय

L2
u

3-1-19

31/5/2019
4.6.19

C.No-155848/19